न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0
राजस्व वादपत्र संख्या : 145/2023
GCMS No. : 2023/405

वादी :–
1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

वादीगण :–
1. अमरसिंह पुत्र करणसिंह
2. प्रेमकंवर पत्नी करणसिंह
3. विक्रमसिंह पुत्र करणसिंह
4. संग्रामसिंह पुत्र करणसिंह
जातियान– राजपूत, निवासी–
निमाज,तहसील–जैतारण,
जिला–ब्यावर (राज.)

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू –: 06.07.2023

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री महावीरसिंह उदावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक :– 22/10/2024

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नंबर 914/4 कुल रकबा 2.2258 हैक्टेयर मौजा निमाज–1 में स्थित हैं। उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर हैं। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित धारा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर होटल निर्माण कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 10.03.2023 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज–1 ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से होटल निर्माण का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (राज.)

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (राज.)

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से वकालातनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थी ने गलत असत्य कथनों का समावेश कर मूल वाद प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। वर्णित खसरा नंबर व रकबा की आराजी अवश्य आयी हुई है जिसके जवाब देहन्दा अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी को कृषि भूमि के रूप में ही काम में लेते आ रहे है तथा जवाब देहन्दा आज दिन तक कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग उपभोग में नहीं ले रहे है तथा जमीन को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द नहीं किया तथा उतरदाता अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों एवं टीनेन्सी शर्तो को भंग नहीं किया है उतरदाता अप्रार्थीगण कृषि कार्य के साथ पशुपालन का भी कार्य करते है इसलिए जो पशुओं के चारा का भण्डारण करने तथा पशुओं को सर्दी बारिश से बचाने हेतु हॉल का निर्माण कर उसके ऊपर चदर डाल रखे है जो अपने पशुओं के रहने व पशुओं चारे के भण्डारण हेतु हॉल बनाया जिसे पशुओं को बांधने व चारे का भण्डारण हेतु हॉल बनाया जिसे पशुओं को बांधने व चारे का भण्डारण हेतु ही काम में लिया जाता है। इसलिए उक्त भूमि पर कृषि कार्य व पशुपालन के अलावा अन्य किसी प्रकार का व्यवसायिक कार्य होटल का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा उक्त कृषि भूमि में मवेशियों के चारे हेतु फसल को रखी थी अभी वर्तमान में भी फसल बो रखी है जवाब देहन्दा ने किसी प्रकार से अपनी कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग उपभोग नहीं लिया है तथा वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि केवल मात्र कृषि कार्य हेतु ही उपयोग उपभोग व काम में ली जा रही है। प्रार्थी को उतरदाता अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई बिनाय उत्पन्न नहीं होता है बिनाय वाद के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र कतई पोषणीय नहीं है तथा प्रार्थनापत्र कतई पोषणीय नहीं है तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि पर उतरदाता अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से होटल का निर्माण नही किया जा रहा है तथा न ही मौके पर किसी प्रकार से होटल का निर्माण किया जा रहा है प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र आधारहीन व झूठे तथ्यों पर आधारित पेश किया है जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

तहसीलदार, जैतारण द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2024 पेश की गई। तहसीलदार, जैतारण ने मौका रिपोर्ट में व्यक्त किया कि सरहद मौजा निमाज-प्रथम में स्थित खसरा नंबर 914/4 रकबा 2.2258 हैक्टेयर में वर्तमान में किसी प्रकार का पक्का निर्माण एवं होटल का संचालन नहीं हो रहा है। एक छोटा टीनशेड बना हुआ है जो कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिया जा रहा है।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही, तहसीलदार, जैतारण की मौका रिपोर्ट मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। तहसीलदार, जैतारण द्वारा दिनांक 20.09.2024 को प्रस्तुत तथ्यात्मक व

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (राजस्थान)

फर्द मौका रिपोर्ट तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के दस्तावेजात व वर्तमान मौके के फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर 914/4 रकबा 2.2258 हैक्टेयर भूमि मौके पर खाली है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा हैं। उक्त आराजी में होटल निर्माण, संचालन नहीं किया जा रहा है।

अतः इस प्रकार कृषि भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई होटल निर्माण, संचालन एवं अकृषि कार्य कारित होना साक्ष्यों से साबित नही होता है। अतः हस्तगत प्रकरण भली-भांति साबित नही होने से वादपत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा, 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)